

सलाह एवं सहायता समानता कार्ड



सॉलिसिटर की सूचना

आपको आवेदक को इस कार्ड को पढ़ने के लिए कहना चाहिए। आवेदक, सलाह एवं सहायता आवेदन प्रपत्र के भाग एच में भरे जाने हेतु आपके लिए उत्तर कोड लिखेगा।

समानता सूचना आपके, आवेदक द्वारा भरी जाए

स्कॉटिश अधिनियम सहायता बोर्ड ने, हमारे द्वारा दी गई सार्वजनिक धनराशि में से भुगतान की गई सेवाओं हेतु आवेदन दे रहे और/अथवा प्राप्त कर रहे लोगों की समान पहुंच की निगरानी के लिए सूचना एकत्र करनी है।

उदाहरणार्थ, जातीय संबंध (संशोधन) अधिनियम 2000 के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्य करने में असंवैधानिक पक्षपात को समाप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखें और समान अवसरों व अच्छे जातीय संबंधों को प्रोत्साहन दें।

आपको इस कार्ड पर दिए गए प्रश्न पढ़ने चाहिए तथा अपने सॉलिसिटर को इसके उत्तर बताएं।

इस भाग को भरना स्वैच्छिक है।

अगर आप कानूनी सहायता के योग्य हो जाते हैं तो आपके द्वारा उत्तर के रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 1

अगर आप समानता संबंधी किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते:

-अपने सॉलिसिटर से कहें कि वह बॉक्स 1 में क्रॉस लगाए।

प्रश्न 2

आप अपने जातीय मूल के बारे में किस तरह बताएंगे?

कृपया बताएं कि आप स्वयं को सबसे अधिक किन समूहों से संबंधित मानते हैं।
अपने सॉलिसिटर को अपने उत्तर का अंक बताएं।

आपको एक उत्तर भाग ए तथा एक उत्तर भाग बी से देना चाहिए।

भाग ए

1. ब्रिटिश अथवा मिश्रित ब्रिटिश
2. स्कॉटिश
3. अंग्रेज़
4. आयरिश
5. वेल्श
6. कोई अन्य
7. मैं उत्तर नहीं देना चाहता

अगर आपका उत्तर **अन्य** है, अगर आप चाहें तो आप अपने सॉलिसिटर को एक विशेष उत्तर लिखने को कह सकते हैं।

भाग बी

एशियन

10. बांग्लादेशी
11. भारतीय
12. पाकिस्तानी
13. अन्य एशियन पृष्ठभूमि - अब भाग सी पर जाएं

काला

14. अफ्रीकी
15. कैरेबियन
16. अन्य काली पृष्ठभूमि - अब भाग सी पर जाएं

चीनी

17. अन्य चीनी पृष्ठभूमि - अब भाग सी पर जाएं

मिश्रित जातीय पृष्ठभूमि

18. एशियन तथा गोरे
19. काले कैरेबियन तथा गोरे
20. काले अफ्रीकी तथा गोरे
21. अन्य मिश्रित जाति - अब भाग सी पर जाएं

गोरे

22. कोई गोरी पृष्ठभूमि - अब भाग सी पर जाएं

कोई अन्य जातीय पृष्ठभूमि

23. कोई अन्य जातीय पृष्ठभूमि - अब भाग सी पर जाएं

कोई उत्तर नहीं

24. मैं उत्तर नहीं देना चाहता

भाग सी

अगर आप भाग बी में उत्तर देते हैं अन्य :

अगर आप चाहें तो आप अपने सॉलिसिटर को एक विशेष उत्तर लिखने को कह सकते हैं।

प्रश्न 3

विकलांगता पक्षपात अधिनियम, विकलांगता को परिभाषित करता है :

“शारीरिक अथवा मानसिक विकार, जिस कारण व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने की क्षमता पर अत्याधिक व दीर्घावधि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।”

क्या आप मानते हैं कि आपको विकलांगता है?

1. हां
2. नहीं
3. मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता।

इन प्रश्नों को पूरा करने के लिए धन्यवाद।

स्कॉटिश अधिनियम सहायता बोर्ड द्वारा प्रकाशित
44 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7SW
टेलिफोन: 0131 226 7061 वेब: www.slac.org.uk

